न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 63/2025

प्रार्थी

1. वेहनाराम पुत्र उदाराम
2. चुतराराम पुत्र उदाराम
3. चुनीदेवी पुत्री उदाराम
4. हरखाराम पुत्र उदाराम
5. अमराराम पुत्र उदाराम
   जाति जाटियान, निवासी शक्ति नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गोमाराम पुत्र चौखाराम
2. दलाराम पुत्र रुपाराम
3. खेराजराम पुत्र रुपाराम
   जाति जाटियान निवासी शक्ति नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
4. कंवराराम पुत्र हड्डूमानराम
5. नैनाराम पुत्र हड्डूमानराम
6. फरसाराम पुत्र हड्डूमानराम
   निवसी टाकूवेरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:28:51 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 18.06.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम ग्राम शक्ति नगर में खसरा संख्या 293/205 रकबा 5.4365

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम ग्राम शक्ति नगर में खसरा संख्या 293/205 रकबा 5.4365 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम ग्राम शक्ति नगर में खसरा संख्या 293/205 रकबा 5.4365 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम ग्राम शक्ति नगर में खसरा संख्या 293/205 रकबा 5.4365 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम ग्राम शक्ति नगर में खसरा संख्या 293/205 रकबा 5.4365 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:28:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम ग्राम शक्ति नगर में खसरा संख्या 293/205 रकबा 5.4365 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:28:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner